

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (504)एनएचएम/एचआरडी/2018/1056 दिनांक : 13/7/18

-: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एनएचएम के प्रबंधकीय संवर्ग के पदों को भरने हेतु जारी एनएचएम विज्ञापित क्रमांक 237 दिनांक 08.03.2018 के क्रम में विज्ञापित सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर (एसटीएलएस) -आरएनटीसीपी के संविदा पद पर पूर्णतया संविदा आधार पर पदस्थापित किया जाता है।

Sr No	Candidate name	Father'S Name	Posting Place	Consolidate Honorarium
1	विजय कुमार मीणा	फूल चन्द मीणा	जिला क्षय निवारण केन्द्र, ब्यावर (अजमेर)	Rs. 15000/-
2	तेजराज कुमावत	रामेश्वर लाल	टीबी यूनिट, बाडमेर	Rs. 15000/
3	राम रतन रावत	भवर लाल रावत	टीबी यूनिट, बालोतरा (बाडमेर)	Rs. 15000/
4	महेश कुमार	भजन लाल	टीबी यूनिट, भुसावर (भरतपुर)	Rs. 15000/
5	लोकेश सैनी	मुरारी लाल सैनी	टीबी यूनिट, कुम्हेर (भरतपुर)	Rs. 15000/
6	फिजा खान	अफाक अहमद	टीबी यूनिट, चित्तौडगढ	Rs. 15000/
7	रेणु रावल	राधेश्याम रावल	टीबी यूनिट, बैगू, चित्तौडगढ	Rs. 15000/
8	हाजी मोहम्मद	अजिज मोहम्मद	जिला क्षय निवारण केन्द्र, रतनगढ, चूरू	Rs. 15000/
9	विकास कुमार भादुका	शिव लहरी शर्मा	टीबी यूनिट, बांदीकूई	Rs. 15000/
10	प्रकाश चन्द्र बैरवा	रमेश चन्द बैरवा	जिला क्षय निवारण केन्द्र, धोलपुर	Rs. 15000/
11	हर्षित कुमार चौबिसा	सुभाष चन्द	टीबी यूनिट, बिछीदांडा, झुंजरपुर	Rs. 15000/
12	अमित	रामकिशन चौधरी	टीबी यूनिट, सूरतगढ, श्री गंगानगर	Rs. 15000/
13	इसलाम भाटी	अब्दुल हमिद	टीबी यूनिट, जैसलमेर	Rs. 15000/
14	बबिता कुमारी	धुराराम	टीबी यूनिट, बैगू, झुन्झुनु	Rs. 15000/
15	राकेश कुमार	महिपाल सिंह	टीबी यूनिट, चिडावा, झुन्झुनु	Rs. 15000/
16	सुरेन्द्र कुमार	भोला राम	टीबी यूनिट, नवलगढ, झुन्झुनु	Rs. 15000/
17	पूना राम	ओमप्रकाश	जिला क्षय निवारण केन्द्र, जोधपुर	Rs. 15000/
18	तरुण कुमार रामावत	प्रभूदास	टीबी यूनिट, ओसिया, जोधपुर	Rs. 15000/
19	देवेन्द्र परमार	हेमाराम परमार	टीबी यूनिट, बिलाडा, जोधपुर	Rs. 15000/
20	दीपक कुमार कावंट	नरसिग कावंट	टीबी यूनिट, बालेसर, जोधपुर	Rs. 15000/
21	महेन्द्र कुमार धोलपुरिया	रमेश कुमार	टीबी यूनिट, सपोटरा, करौली	Rs. 15000/
22	अर्जुन सिंह मीना	रामकिशोर	जिला क्षय निवारण केन्द्र, राजसमन्द	Rs. 15000/
23	अशोक शर्मा	राजेश शर्मा	टीबी यूनिट, सीकर	Rs. 15000/
24	मोनिका गोड़	नरेन्द्र कुमार	टीबी यूनिट, मालपुरा, टोंक	Rs. 15000/
25	मनीषा मेहता	हरिराम मेहता	जिला क्षय निवारण केन्द्र, उदयपुर	Rs. 15000/
26	देवेन्द्र कुमार सुथार	भेरूलाल सुथार	टीबी यूनिट, झाडोल, सराडा, उदयपुर	Rs. 15000/
27	कपिल भार्गव	भेराराम	टीबी यूनिट, झाडोल, फलासिया, उदयपुर	Rs. 15000/
28	राजकमल शर्मा	समरथ लाल	टीबी यूनिट, प्रतापगढ	Rs. 15000/
29	चुन्नीलाल डाबी	हरिराम डाबी	टीबी यूनिट, धरियावाड, प्रतापगढ	Rs. 15000/

नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 20.7.2018 तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

नव नियुक्त संविदा कार्मिक अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से दिनांक 23.7.2018 को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई-मेल आई.डी. co.hrd.nhm@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।


यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाइन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

नव नियुक्त संविदा कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार), चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं रु 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर (Blank) के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे।

उक्त संविदा कार्मिक को प्रथमतः तीन माह (प्रोबेशन अवधि) के लिये लिया जावेगा। नव नियुक्त संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को आगामी दिनांक 31.03.2019 तक के लिये तक के लिये बढ़ाया जायेगा। अनुबंधित संविदा कार्मिको को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होंगे। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस सम्बन्ध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के मूल दस्तावेजों (विज्ञप्ति में उल्लेखित अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों) की जाँच कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की एक-एक स्वप्रमाणित प्रति रिकार्ड में रखते हुये नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। कार्यग्रहण उपरान्त कार्मिक को उनके संबंधित पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त कर भिजवाए।

उक्त अभ्यर्थी का पदस्थापन उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता/अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच के अध्याधीन रहेगी यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज मिथ्या/गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।


(नवीन जैन)
शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (504)एनएचएम/एचआरडी/ 2018/1056 दिनांक : 13/7/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, अति० मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक-जनस्वास्थ्य/आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
6. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
8. राज्य क्षय रोग अधिकारी, जयपुर।
9. राज्य नोडल अधिकारी, आरएनटीसीपी, जयपुर।
10. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, संबंधित जोन, राजस्थान।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर, बाडमेर, भरतपुर, चित्तोडगढ, चूरु, दौसा, धौलपुर, डूंगरपूर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, झुन्झुनु, जोधपुर, करौली, राजसमन्द, सीकर, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ।
13. जिला क्षय रोग अधिकारी, अजमेर, बाडमेर, भरतपुर, चित्तोडगढ, चूरु, दौसा, धौलपुर, डूंगरपूर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, झुन्झुनु, जोधपुर, करौली, राजसमन्द, सीकर, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ।
14. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), अजमेर, बाडमेर, भरतपुर, चित्तोडगढ, चूरु, दौसा, धौलपुर, डूंगरपूर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, झुन्झुनु, जोधपुर, करौली, राजसमन्द, सीकर, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ।
15. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक वर्टिकल प्रोगाम अजमेर, बाडमेर, भरतपुर, चित्तोडगढ, चूरु, दौसा, धौलपुर, डूंगरपूर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, झुन्झुनु, जोधपुर, करौली, राजसमन्द, सीकर, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ।
16. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
एनएचएम